


D. / (MR)



मध्यप्रदेश शासन
लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग
मंत्रालय

संशोधित आदेश

क्रमांक एफ 9-8/2018/सत्रह/मेडि-3

भोपाल, दिनांक 04/07/2018

प्रति,

1. शासन के समस्त विभाग,
2. अध्यक्ष, राजस्व मंडल, ग्वालियर,
3. समस्त विभागाध्यक्ष, मध्यप्रदेश,
4. रजिस्ट्रार, उच्च न्यायालय, जबलपुर/ग्वालियर/इन्दौर मध्यप्रदेश,
5. समस्त संभागीय आयुक्त, मध्यप्रदेश,
6. समस्त जिलाध्यक्ष, मध्यप्रदेश,

विषय: शासकीय सेवको तथा उनके आश्रित परिवार के सदस्यों के जांच/उपचार हेतु राज्य के अंदर स्थित निजी चिकित्सालयो/संस्थाओं को नवीन मान्यता।

....00.....

शासकीय सेवको तथा उनके आश्रित परिवार के सदस्यों के जांच/उपचार हेतु राज्य के अंदर स्थित निजी चिकित्सालयो/संस्थाओं को नवीन मान्यता द्वारा जारी विभागीय समसंख्यक आदेश दिनांक 22.06.2018 में निम्नलिखित निजी चिकित्सालयों को नवीन मान्यता प्रदान की गयी है जिसमें टंकण त्रुटिवश राज्य स्तरीय समिति की बैठक का दिनांक 05.06.2018 के स्थान पर 25.10.2017 टंकित हो गया है जिसे कृपया दिनांक 05.06.2018 माना जाये:-

1. तृप्ती हॉस्पिटल मल्टीस्पेशलिटी एंड ड्रामा सेंटर भोपाल।
2. सागरश्री हॉस्पिटल एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट प्रायवेट लिमिटेड, सागर।
3. पीपुल्स जनरल हॉस्पिटल रोशनुपरा भोपाल।
4. बालाजी फ्रेक्चर हॉस्पिटल भोपाल।
5. मोहनलाल हरगोविंददास पब्लिक चैरीटेबल ट्रस्ट हॉस्पिटल, राइट टाउन जबलपुर।

संचालक () पत्र 265
आवक दिनांक 27/07/18
जावक दिनांक

DD (MR)
[Signature]

6. रतन ज्योति नेत्रालय एंड रिसर्च सेंटर ग्वालियर।

मध्य प्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार,

(भागीरथ सुनहरे)

उप सचिव

मध्य प्रदेश शासन

लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग

भोपाल, दिनांक 04/07/2018

पृ.क्रमांक एफ 9-08/2018/सत्रह/मेडि-3

प्रतिलिपि:-

1. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) (आडिट)-1 /2 म.प्र. ग्वालियर की और वित्त विभाग की अधिसूचना दिनांक 30.09.02 के संदर्भ में अग्रेषित।
2. सचिव, मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग की ओर उनके परिपत्र क्रमांक 1496/1097/2014/नियम/चार, दिनांक 25 अगस्त, 2014 के संदर्भ में अग्रेषित।
- ✓ 3. आयुक्त, स्वास्थ्य सेवाएँ, म.प्र.। (कृपया वेबसाईट पर अपलोड करावें)
4. संचालक, चिकित्सा सेवाएँ/लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण भोपाल ।
5. संचालक, चिकित्सा शिक्षा, म.प्र. भोपाल ।
6. संयुक्त संचालक, (एम.आर.) संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें, म.प्र. भोपाल ।
7. समस्त अधिष्ठाता, चिकित्सा महाविद्यालय, म.प्र.।
8. समस्त संभागीय संयुक्त संचालक, स्वास्थ्य सेवायें, म.प्र.।
9. समस्त मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी/सिविल सर्जन सह मुख्य अस्पताल अधीक्षक म.प्र.।
10. लेखा शाखा, मंत्रालय, भोपाल ।
11. संचालक, रतन ज्योति नेत्रालय एण्ड रिसर्च सेंटर, 18 विकास नगर, साई बाबा मंदिर के पास, ग्वालियर ।
12. गार्ड फाईल ।
की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित ।

उप सचिव

मध्य प्रदेश शासन

लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग